

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

रांची, दिनांक ०९-०९-२०१०

संख्या-७ए/विविध-१२/२०१० का.- ५४३७ /झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली-२००१ के नियम-१९ में अंकित प्रावधान के आलोक में कार्मिक विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या-६९४९, दिनांक ०५.०४.१९७६ को संशोधित करते हुए राज्य सरकार के द्वारा निम्न निर्णय लिये जाते हैं :-

(क) चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित पूर्ण विवरणी जो इस अधिसूचना की अनुसूची-I, II, III एवं IV के प्रपत्रों में उक्त नियम के आलोक में विनिर्दिष्ट है, को प्रत्येक सरकारी सेवक के द्वारा निर्धारित तिथि के तीन माह के अन्दर निम्न प्रकार समर्पित किये जायेंगे :-

- (i) प्रत्येक सरकारी सेवक प्रथम नियुक्ति के समय नियुक्ति प्राधिकार को।
- (ii) राज्य सेवा एवं राज्य स्तरीय संवर्ग के सरकारी सेवक प्रत्येक तीन वर्षों के अन्तराल के बाद संवर्ग नियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को।
- (iii) राज्य सेवा एवं राज्य स्तरीय संवर्ग को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक प्रत्येक तीन वर्षों के अन्तराल के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को।
- (ख) यह नियम समूह 'घ' के सरकारी सेवकों के लिए लागू नहीं होगा।

2. प्रत्येक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव का यह दायित्व होगा कि वे अपने अधिनरथ संवर्ग के सेवकों से इसका अनुपालन करायें। वे उपर्युक्त नियम के अनुश्रवण हेतु अपने विभाग में किसी वरीय पदाधिकारी को प्राधिकृत करेंगे, जो इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

निर्धारित समय-सीमा के अन्दर उक्त विवरणी समर्पित नहीं करने वाले सरकारी सेवक के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाये।

3. यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

aditya
०९/२०१०
(आदित्य स्वरूप)
सरकार प्रधान सचिव।

26

ज्ञापांक-7ए/विविध-12/2010 का.- 5437/रांची, दिनांक 09-09-2010
प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचना एवं
'झारखण्ड गजट' के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Aditya
8/9/2010

सरकार प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7ए/विविध-12/2010 का.- 5437/रांची, दिनांक 09-09-2010
प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी उपायुक्त एवं सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

Aditya
8/9/2010

सरकार प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7ए/विविध-12/2010 का.- 5437/रांची, दिनांक 09-09-2010
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/महामहिम राज्यपाल के प्रधान
सचिव/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड/महाधिवक्ता, झारखण्ड को सूचना एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Aditya
8/9/2010

सरकार प्रधान सचिव।